

introduce a Provident Fund Scheme for Seafarers;

(b) if so, when the scheme is likely to be introduced;

(c) the main features of the scheme; and

(d) how far this scheme will help the labourers?

The Minister of Transport (Shri Raj Bahadur): (a) and (b). Yes, Sir. The Provident Fund Scheme for Seafarers has come into force with effect from the 1st July, 1964. Government propose to introduce legislation shortly providing a statutory basis for the scheme.

(c) The main features of the scheme are:—

- (i) Provident Fund contributions at the rate of 6 per cent of the basic wages and leave pay are recovered both from ship-owners and seamen. The rate of contribution will be enhanced to 8 per cent with effect from the 1st April, 1968.
- (ii) The collections are being made on a voluntary basis at present, pending enactment of the proposed legislation.

(d) It is estimated that about 50,000 seamen will be benefited by the scheme immediately. The employers' yearly contribution is expected to be Rs. 41,76,000/- till 31st March, 1968, and thereafter it will increase to Rs. 55,68,000/-. This amount will be matched by an equal contribution by the seamen themselves.

दिल्ली दुग्ध योजना

852. { श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री श्रीकार लाल बेरबा :

क्या साहब तथा कृषि मंत्री यह बताने को कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली दुग्ध योजना ने कुछ पुलिस गार्ड नियुक्त किये हैं ;

(ख) जयदि हां, तो कितने ग्रीर कब से ; ग्रीर

(ग) उन पर प्रतिमास कितना व्यय होता है ?

साहब तथा कृषि मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी हां ।

(ख) नकदी रखने के "स्ट्रांग रूम" तथा केन्द्रीय डेरी से रिजर्व बैंक या खजाने तक नकदी पहुंचाने समय सुरक्षा के लिये 10 अगस्त, 1961 से एक हैड कांस्टेबल तथा 4 पैदल सिपाहियों की नियुक्ति की गई थी ।

केन्द्रीय डेरी तथा मुख्य द्वारों की सुरक्षा के लिए 7 अगस्त, 1964 से एक हैड कांस्टेबल, एक लेसनायक सिपाही तथा 12 सिपाहियों की नियुक्ति की गई थी । 2 जनवरी, 1965 से लेसनायक के स्थान पर एक ए० एस० घाई० की नियुक्ति की गई है ।

(ग) 3,470 रुपए प्रति मास ।

दिल्ली दुग्ध योजना

853. { श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री श्रीकार लाल बेरबा :

क्या साहब तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दिल्ली दुग्ध योजना के कार्यकरण में सुधार करने के लिये उपाय सुझाने के लिये प्राये विशेषज्ञ दल के सदस्यों की संख्या, भर्हतायें, तथा उन पर किया जाने वाला मासिक व्यय क्या है ?

साहब तथा कृषि मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री शाहनवाज खां) : दिल्ली दुग्ध योजना के कार्य को सफलतापूर्वक चलाने के सम्बन्ध में सुझाव देने के लिए 27-7-1964 को निम्नलिखित सात विशेषज्ञों का एक दल नियुक्त किया गया है :—

गैर-सरकारी सदस्य

1. श्री बी० कुरीन, जनरल मैनेजर, कैरा डिस्ट्रिक्ट कोम्पारटिव मिल्क प्रोड्यूसर्स यूनियन लिमिटेड, धानन्द ।

2. श्री एच० एम० दालाया, एसिस्टेंट जनरल मैनेजर, कैरा डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर्स यूनियन लिमिटेड, भ्रानन्द ।
3. श्री वी० एच० शाह, मैनेजर, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग डिवीजन, बलकन ट्रेडिंग कम्पनी (पी) लिमिटेड, बम्बई
4. श्री एम० हालसे, कनसलटैन्ट न मैनेजमेंट आफ एग्रिकल्चर, ए कोऑपरेटिव एन्टरप्राइजिज, इंडियन इस्टीट्यूट आफ मैनेजमेंट, अहमदाबाद ।

सरकारी सब्सिडी

5. डा० के० के० आया, डायरेक्टर आफ डेरी रिसर्च, नेशनल डेरी रिसर्च इन्स्टीट्यूट, करनाल ।
6. श्री रणजीत सिंह, चीफ डेरी डेवलपमेंट आफिसर, यू० पी० कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट, लखनऊ ।
7. श्री एन० एस० दावे, जनरल मैनेजर, आरे एण्ड वर्ल्ड डेयरीज, ग्रेटर बम्बई मिल्क स्कीम, बम्बई ।

दल ने 27-7-1964 से 5-9-1964 तक कार्य किया । दल पर लगभग 13,000 रुपये कुल खर्च हुए ।

दिल्ली दुग्ध योजना

854. { श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री भोकारलाल बेरवा :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली दुग्ध योजना में कितनी मशीनें बेकार पड़ी हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि मक्खन बनाना बन्द हो जाने के कारण हाल ही में

कुछ मशीनें प्रयोग में नहीं लाई जा रही हैं ;

(ग) यदि हां, तो उन मशीनों का मूल्य क्या है ; और

(घ) उनको कैसे प्रयोग में लाये जाने का विचार है ?

खाद्य तथा कृषि मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री शाहनबाख्त खां) : (क) केन्द्रीय डेरी में तीन मशीन और तीन मिल्क कलेक्शन एण्ड विलिंग केन्द्र में उपकरण बेकार पड़े हैं

(ख) जो नहीं, मक्खन बनाना बन्द नहीं हुआ है ।

(ग) उपकरण जिसका हवाला ऊपर (क) में दिया गया है, की लागत 9,94,108 रुपये 65 पैसे है ।

(घ) मशीनें मुख्यतया दूध की कमी के कारण बेकार पड़ी हैं । दूध उपलब्ध में सुधार करने के लिए सक्रिय उपाय किये जा रहे हैं और ऐसा होते ही इन मशीनों का उपयोग किया जाएगा ।

गहन डोर विकास खण्ड

855. { श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री भोकारलाल बेरवा :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने ग्राठ राज्यों में सोलह गहन डोर विकास खण्डों की स्थापना की मंजूरी दे दी है ;

(ख) यदि हां, तो उन राज्यों के नाम क्या हैं ;

(ग) क्या अन्य राज्यों में भी ऐसे खण्ड खोलने का प्रस्ताव है ; और

(घ) यदि हां, तो अनुमानतः कितना व्यय होगा और काम के कब तक पूरे हो जाने की संभावना है ?